

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2052  
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: प्राकृतिक कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन में नामांकन हेतु प्रक्रिया**

**2052. श्री जगदम्बिका पाल:**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के अंतर्गत प्राकृतिक कृषि में परिवर्तन करने के इच्छुक छोटे किसानों के लिए आवेदन करने हेतु किन्हीं विशिष्ट प्रपत्रों, दस्तावेजों अथवा पूर्वशर्तों की आवश्यकता है और क्या उनकी भूमि का नामांकन करने के लिए कोई स्पष्ट चरण-दर-चरण प्रक्रिया है और ग्राम पंचायत, ब्लॉक, विकास कार्यालय अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) किससे संपर्क किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नामांकन वर्ष भर खुले रहते हैं अथवा ये मौसम-विशिष्ट होते हैं और यदि कोई किसान क्लस्टर की समय-सीमा को पूरा करने से चूक जाता है, तो क्या वे व्यक्तिगत रूप से या अगले चक्र में नामांकन कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों की सहायता करने के लिए कोई पदनामित अधिकारी अथवा कृषि सखियां हैं और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये संसाधन किस हद तक उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को तत्काल प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा उन्हें समूह बनने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ङ) नामांकन पर गारंटीकृत अथवा लक्ष्य से जुड़ी वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) मंत्रालय किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक या संभारतंत्रीय बाधाओं के कारण छोटे भूमिधारकों को एनएमएनएफ से बाहर नहीं रखा जाए?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) : राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत, क्लस्टरों की पहचान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। प्रत्येक क्लस्टर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान जैसे किसी एक प्रशिक्षण संस्थान से लिंकड होता है। किसानों की सहायता करने और उन्हें नामांकित करने के लिए क्लस्टर में कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की तैनाती का प्रावधान किया गया है।

(ख) : प्रत्येक फसल मौसम के आरंभ में नए किसान प्राकृतिक खेती क्लस्टर में शामिल हो सकते हैं।

(ग) : प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रत्येक चयनित क्लस्टर में दो कृषि सखियों/सीआरपी को नामित करेगा।

(घ) : राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा क्लस्टरों को चिह्नित करने के पश्चात किसानों को प्रशिक्षण देना आरंभ किया जाएगा।

(ङ) : योजना में प्रशिक्षित किसानों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य मानसून से पहले शुष्क बुआई, बीजामृत, जीवामृत आदि जैसे एनएफ इनपुट का उपयोग, विविध फसल प्रणाली आदि जैसे प्राकृतिक खेती पैकेज का संवर्धन करना है। प्रत्येक किसान छोटी जोत में प्राकृतिक खेती शुरू कर सकता है, और अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक एनएमएनएफ के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु हो सकता है।

(च) : छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसान एनएमएनएफ के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र/राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय निगरानी समितियों में मिशन इकाई को सभी क्लस्टरों में खेत-स्तरीय संकेतकों, किसान प्रगति और प्राकृतिक खेती के विस्तार की नियमित निगरानी करने का अधिकार होगा।

\*\*\*\*\*